उत्तराखण्ड राज्य

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

Industrial Training Institute

रोज़गार की संभावना को बढ़ाने हेतु आईटीआई एवं इंडस्ट्री में संयुक्त रूप से DST के अंतर्गत प्रशिक्षण का अवसर

DUAL SYSTEM OF TRAINING

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST)

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) क्या है?

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को आईटीआई में प्रशिक्षण के साथ साथ उद्योग में कार्य करके सीखने का अवसर प्रदान करता है|

इसमें छात्रों को उद्योगों में प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम मशीनरी पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है| डीएसटी के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी उच्च स्तर के व्यावसायिकता और तकनीकी कौशल का विकास करते हैं, जिससे उन्हें उद्योगों में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है|

उद्योग में प्रशिक्षण की समयावधि

ITI कोर्स की अवधि	उद्योग में प्रशिक्षण की अवधि
12 Months	3 to 6 Months
24 Months	6 to 12 Months

DST के दौरान उद्योग क्या प्रदान करेगा?

छात्रवृत्तिका
उद्योगों द्वारा छात्रवृत्तिका दिए जाने का प्राविधान

सुविधाएं
छात्रों को परिवहन एवं कैंटीन की व्यवस्था

सुरक्षा
सभी छात्रों को पीपीई और सुरक्षा जूते जैसी सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान

प्रशिक्षण
छात्र अपने कोर्स का आधा समय आई.टी.आई में एवं शेष समय इंडस्ट्री में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे

DST के दौरान छात्रों से क्या अपेक्षाएं हैं?

आयु सीमा
न्यूनतम 18 वर्ष एव, अधिकतम 24 वर्ष

सहमति पत्र
स्वयं और माता-पिता से सहमति अनिवार्य होगा

व्यक्तिगत बीमा
अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

मेडिकल टेस्ट
चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा

यूनिफार्म और पहचान पत्र
आईटीआई का पहचान पत्र साथ रखना और DST के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है|

रूल्स एंड रेगुलेशन
DST के दौरान उद्योग के नियमों और विनियमों, सुरक्षा दिशानिर्देशों और शिफ्ट समय का पालन अनिवार्य है|

Dual System of Training (DST) के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश

- **आयु सीमाः–** Dual system of Training (DST) के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के समय अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है। इस हेतु आयु की गणना सम्बन्धित वर्ष की 1 अगस्त 2026 से मान्य होगी।
- **शैक्षिक योग्यताः–** न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण।
- **प्रशिक्षण अवधि में औद्योगिक भागीदारीः–** कुल प्रशिक्षण अवधि का 25% से 50% भाग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। इस अवधि में प्रशिक्षार्थी को सम्बन्धित उधोग में उपस्थित होकर उधोगों की आवश्यकता के अनुरूप Hands-On प्रशिक्षण एवं कार्य कराया जायेगा।
- **सहमति पत्र (Consent Form):–** DST प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को यह लिखित सहमति प्रदान करनी होगी कि उन्हें कुल प्रशिक्षण अवधि का 25 से 50: तक का भाग संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये प्रशिक्षण करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सहमति पत्र (Consent Form) प्रवेश के समय हस्ताक्षरित जमा करना अनिवार्य होगा।
- **पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र–** डीएसटी प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रशिक्षण शुरू होने से 30 दिन पहले जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
- **चिकित्सा फिटनेस परीक्षण–** अभ्यर्थी को डीएसटी के अन्तर्गत प्रवेश लेते समय सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान के द्वारा निर्धारित इंडस्ट्री की अपेक्षा/आवष्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- **सुरक्षा/पीपीई–** डीएसटी प्रशिक्षुओं को उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान सभी सुरक्षा पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) अनिवार्य रूप से पहनने होंगे, जो कि इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किये जायेंगे। समस्त प्रशिक्षाथियों का सम्बन्धित आई0टी0आई0 द्वारा बीमा कराया जायेगा तथा इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणर्थियों को इण्डस्ट्री द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा एवं किसी प्रकार की दुर्घटना हेतु सम्बन्धित संस्थान/इण्डस्ट्री उत्तरदायी नहीं होगी।
- **शिफ्ट–** डीएसटी प्रशिक्षुओं को सम्बन्धित इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शॉप्स में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर/रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समय–समय पर सूचित किए गए शिफ्ट समय का पालन करना होगा। आठ घंटे की शिफ्ट में खडे अथवा बैठकर (यथा स्थिति) कार्य करते हुए प्रशिाण प्राप्त करना होगा। उक्त के दैरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हल्के मटीरियल/सामग्री का स्थानान्तरण भी कराया जा सकता है।
- **अनुशासन–** डीएसटी प्रशिक्षुओं को अन्य कार्यरत लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और अनुशासित व्यवहार बनाए रखना होगा। शारीरिक हिंसा का कोई भी कार्य, भौतिक संपत्ति को नुकसान, अनधिकृत अनुपस्थिति, प्रशिक्षण कार्यस्थल से गायब होना, यौन उत्पीड़न आदि गैर अनुशासनात्मक गतिविधियां किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- **आर्थिक सहायता–** डीएसटी प्रशिक्षुओं को समय–समय पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- **भोजन और आवास–** डीएसटी प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान (शिफ्ट के दौरान) भोजन की व्यवस्था Subsidized दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण के इतर प्रशिक्षुओं को भोजन एवं आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस हेतु सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा सहयोग प्रदान कराया जा सकता है।